

# नगर पालिका, पर्वतसर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.:

LSG/PARBATSAR/FIRENOC/2025-26/65304

जारी दिनांक:

13-FEB-2026

वैधता दिनांक:

12-FEB-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती:

ROHIT SHARMA

आवेदक का पता:

SANSKAR PUBLIC SCHOOL PEEPLAD ROAD PARBATSAR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SANSKAR PUBLIC SCHOOL, 1, PEEPLAD ROAD, PARBATSAR, PARBATSAR, DIDWANA-KUCHAMAN, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगा। उक्त अवधि समाप्त से न्यूनतम एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन किया जाना आवश्यक होगा। इसका उल्लंघन दंडनीय होगा।
2. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की ऊँचाई जितना हर समय रखना होगा।
3. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा, इससे आवेदक का स्वामित्व प्रमाणित नहीं होता है।
4. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाएगा।
5. अग्निशमन उपकरण एवं उनसे संबंधित समस्त घटक अद्यतन एवं आपात परिस्थिति हेतु सदैव चालु स्थिति में रखने होंगे एवं उनकी नियमित सार-सभाल की जायेगी।
6. निरीक्षण के दौरान प्रदत्त आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
7. अग्निशमन उपकरणों, सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे।
8. अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
9. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफ टॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है। भवन के जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहाँ पर रूफ टॉप रेस्टोरेट का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
10. भवन के समस्त स्टाफ सिक्वोरिटी गार्ड आदि को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन प्रशिक्षण दिलवाना आवश्यक होगा।
11. यदि राज्य सरकार या नगरपालिका भविष्य में कोई नियम उपनियम जारी करता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
12. मुख्य नगरपालिका अधिकारी के निर्देशानुसार भवन का अग्निशमन अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में 5000 रुपये का जुर्माना अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त अथवा दोनो किया जा सकता है।
13. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे संपूर्ण सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
14. भूमि व भवन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं किसी भी प्रकार के विवाद हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा और यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।



Signed by: Mahendra Singh Charan  
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner  
Location: PARBATSAR, Rajasthan  
Date: 13/02/2026 12:35:38

अग्निशमन अधिकारी  
नगर पालिका, पर्वतसर